रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, बुधवार, मई 12, 1999/वैशाख 22, 1921
No. 34] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 12, 1999/VAISAKHA 22, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1999

सं. टी ए एम पी/20/99-जे एन पी टी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 48) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार एक बारी में किसी जलयान द्वारा प्रहस्तित यातायात की टी ई यू मात्रा पर छूट के संबध में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के दरमानों की अनुसूची II के खंड 2 की क्रम सं. (V) को संशोधित करता है।

मामला सं. टी ए एम पी/20/99-जे एन पी टी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास .....आवेदक

आदेश

(24 अप्रैल, 1999 को पारित)

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने किसी जलयान द्वारा एक बारी में प्रहस्तित यातायात की टी ई यू मात्रा पर "छूटों" के शीर्षक के अन्तर्गत अनुसूची II के खंड 2 की क्रम सं. (V) के संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विद्यमान उपबंध का पाठ इस प्रकार है :—

"(V) किसी एक बारी में 1000 टी ई यू से अधिक निष्पादन करने वाला कोई जलयान उस पर लागू होने वाले समस्त प्रहस्तन प्रभारों की निम्नलिखित प्रतिशत राशि की छूट के लिए पात्र होगा :—

1000 टी ई यू से अधिक परन्तु 1200 तक	2%
1200 टी ई यू से अधिक परन्तु 1500 तक	3%
1500 टी ई यू से अधिक परन्तु 1800 तक	4%
1800 टी ई यू से अधिक	5%"

2. बड़े आकार के पार्सल और अधिक यातायात करने वाले जलयानों को आकर्षित करने लिए ज.ने.प.न्या. ने यह प्रस्ताव किया था कि विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित का प्रतिस्थापन किया जाए :—

"(V) एक बारी में 1000 से अधिक टी ई यू का निष्पादन करने वाला कोई जलयान उसके लिए लागू होने वाले समस्त प्रहस्तन प्रभारों की निम्नलिखित प्रतिशत राशि की छूट के लिए पात्र होगा :—

1000 टी ई यू तक	कोई नहीं
1001 टी ई यू से 1200 टी ई यू तक	2%
1201 टी ई यू से 1500 टी ई यू तक	3%
1501 टी ई यू से 1800 टी ई यू तक	4%
1801 टी ई यू से 2200 टी ई यू तक	5%
2201 टी ई यू से 2600 टी ई यू तक	6%
2601 टी ई यू और इससे अधिक	7%"

3. 2201 से तथा इससे अधिक टी ई यू के संबंध में अधिक छूट का प्रस्ताव किया गया। चूंकि टी ई यू पर अधिक प्रतिशत छूट देकर अधिक यातायात आकर्षित करने का प्रस्ताव है इसलिए यह समझा जाता है कि इस संशोधन का सभी स्वागत करेंगे। प्रस्ताव के स्वरूप और समग्र निहितार्थी को ध्यान में रखते हुए यह भी समझा गया कि पत्तन प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकाय से टिप्पणियाँ आमंत्रित करने और पत्तन स्तर पर संयुक्त सुनवाई करने की सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

4. तदनुसार, प्राधिकरण उक्त पैरा '2' में यथावर्णित ज. ने. प. न्या. के दरमानों की अनुसूची II के खंड 2 की क्रम सं. (V) के संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित करता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/iii/iv/143/असाधारण)/1999]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1999

No. TAMP/20/99-JNPT.—In exercise of the powers conferred under section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amends Sr. No. (V) of section 2 of Schedule II of the JNPT Scale of Rates relating to rebates on the volume of Traffic in terms of TEUs handled by a ship in a single call as in the Order appended hereto.

Case No. TAMP/20/99-JNPT

The Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) .....**Applicant**

ORDER

(Passed on this 24th day of April, 1999)

The JNPT have submitted a proposal for amendment of Sr. No. (V) of section 2 of Schedule II under the heading of "Rebates" on the volume of traffic in terms of TEUs handled by a ship in a single call. The existing provision reads as follows :

"(V) Any vessel performing more than 1000 TEUs in a single call shall qualify for a rebate amounting to the following percentage of the total handling charges applicable for the vessel :—

More than 1000 TEUs but upto 1200	—2%
More than 1200 TEUs but upto 1500	—3%
More than 1500 TEUs but upto 1800	—4%
More than 1800 TEUs	—5%"

2. In order to attract vessels carrying higher parcel size and more traffic, the JNPT have proposed that the existing provision be substituted by the following :

"(V) Any vessel performing more than 1000 TEUs in a single call shall qualify for a rebate amounting to the following percentage of the total handling charges applicable for the vessel :—

Upto 1000 TEUs	—Nil
1001 TEUs to 1200 TEUs	—2%
1201 TEUs to 1500 TEUs	—3%
1501 TEUs to 1800 TEUs	—4%
1801 TEUs to 2200 TEUs	—5%
2201 TEUs to 2600 TEUs	—6%
2601 TEUs and above	—7%"

The higher rebate proposed is in respect of TEUs from 2201 and above. Since the proposal is to attract more traffic by giving higher percentage of rebates on TEUs, it is felt that the amendment will be welcomed by all. Bearing in mind the nature of the proposal and its overall implications, it is also felt that there is no need to follow the usual procedure of calling for comments from the port users/representative body of port users and holding a joint hearing at the port level.

4. Accordingly, the authority approves the proposal of the JNPT for amendment of Sr. No. (V) of section 2 of Schedule II of the JNPT Scale of Rates as stated in para '2' above.

S. SATHYAM, Chairman

[A/III/IV/143/Extra./99]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110 064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110 054.